DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Monday, the 17th March 2003 / 26 Phalgun 1924 (Saka)

No. 249

Private Members' Resolution

Hon'ble Members are hereby informed that a total of 47 Resolutions were received by the Assembly Secretariat till the last date of receipt of Resolutions (i.e. 12th March, 2003 till 3.00 P.M).

The following Six Resolutions have found place in the balloting held on 12th March, 2003 for discussion on 28th March, and 4th April, 2003:

Sl. No	Name of the Member	Text of the Resolution	Date of sitting
1	Smt. Kiran Choudhry	"This House resolves that an independent Delhi Water Authority be set-up for the National Capital Territory of Delhi to regulate, control and manage the drinking water requirements of the people of Delhi and also to maintain the ground water level in the Capital for the future generations."	28th March 2003
2	Shri Sahab Singh Chauhan	"This House resolves that a separate "Delhi Board of Secondary Education" as in other states be constituted for the National Capital Territory of Delhi and the examinations for the year 2003-2004 be conducted by this Board."	28th March 2003
3	Smt. Anjali Rai	"This House resolves that necessary legislation be enacted to protect the dignity of women, empower them and save them from sexual exploitation. It further resolves that through this legislation an end should be put to attempts being made to project them as objects of desire in the publications, electronic media and advertisements."	28th March 2003
4	Shri Malaram Gangwal	This House resolves that mini sewage treatment plants be installed on all major drainage systems and these places be developed as tourist attractions.	4th April 2003
5	Shri Tarvinder Singh Marwah	"This House resolves that due to their inability to provide adequate housing, the DDA be disbanded forthwith and a separate Housing Board be constituted under Government of Delhi."	4th April 2003
6	Shri Mohan Singh Bisht	"This House resolves that in order to give effect to their constitutional rights all children up to the age of 14 years should be provided free and compulsory education."	4th April 2003

Siddharath Rao
Secretary

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी)

सोमवार, 17 मार्च, 2003 / फाल्गुन 26, 1924 (शक)

संख्या: 249

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संकल्प प्राप्ति के अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 12/3/2003 को अपराह्न 3.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में कुल 47 संकल्प प्राप्त हुए ।

निम्नलिखित 06 संकल्पों ने दिनांक 12/3/03 को बैलेटिंग में प्राथमिकता प्राप्त किया है: -

क्र.सं.	सदस्य का नाम	संकल्प का पाठ	बैठक की तिथि
1.	श्रीमती किरण चौधरी	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के लोगों की पीने के पानी की मांग के विनियमन, नियन्त्रण एवं व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक स्वतंत्र जल प्राधिकरण स्थापित किया जाए और भावी पीढ़ियों के लिए राजधानी में भूमिगत जल स्तर बनाये रखने की व्यवस्था की जाये ।	28 मार्च, 2003
2.	श्री साहब सिंह चौहान	यह सदन संकल्प करता है कि अन्य राज्यों की भांति राष्ट्रीय़ राजधानी क्षेत्र दिल्ली में "दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड" का गठन किया जाए तथा सत्र 2003-04 की परीक्षाएं इसी बोर्ड द्वारा ली जायें ।	28 मार्च, 2003
3.	श्रीमती अंजलि राय	यह सदन संकल्प करता है कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए, शारीरिक शोषण से बचाने एवं उन्हें सशक्त बनाने के उददेश्य से आवश्यक कानून बनाया जाए। यह सदन यह भी संकल्प करता है कि प्रकाशनों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया और विज्ञापनों में उन्हें उपभोग की वस्तु की तरह प्रदर्शित किए जाने पर रोक लगाने हेतु इस कानून में व्यवस्था की जाए ।	28 मार्च, 2003
4.	श्री माला राम गंगवाल	यह सदन संकल्प करता है कि सभी प्रमुख नालों पर मिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट्स लगाए जाएं और इन स्थानों को पर्यटन के लिए विकसित किया जाए ।	4 अप्रैल, 2003
5.	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त मात्रा में आवास निर्माण के लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता के कारण इस निकाय को तुरन्त भंग कर दिल्ली सरकार के अधीन अलग से एक हाउसिंग बोर्ड का गठन किया जाये ।	4 अप्रैल, 2003
6.	श्री मोहन सिंह बिष्ट	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को संवैधानिक अधिकार दिलाने हेतु अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा नीति को सख्ती से लागू किया जाए ।	4 अप्रैल, 2003

सिद्धार्थ राव
सचिव